Australian Government

ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करना

जैव सुरक्षा

यदि आप एक अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं और ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करने की योजना बना रहे/रही हैं, तो अपनी व्यक्तिगत वस्तुओं को पैक करते समय ऑस्ट्रेलिया की जैव सुरक्षा आवश्यकताओं के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। विदेशों से लाए गए कुछ खाद्य पदार्थ, पौधों की सामग्री और पशु उत्पाद ऑस्ट्रेलिया में गंभीर कीट समस्या और बीमारियां ला सकते हैं, हमारे मूल्यवान कृषि और पर्यटन उद्योगों और हमारे विशिष्ट पर्यावरण को तबाह कर सकते हैं।

हो सकता है कि कुछ उत्पादों की अनुमति ना दी जाए, जबकि अन्य उत्पादों को केवल तभी अनुमति दी जाती है जब वे कुछ जैव सुरक्षा आयात शर्तों को पूरा करते हैं।

यदि आप घोषणा नहीं करते/करती हैं, या झूठी घोषणा करते/करती हैं, तो आपको दंडित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आपको A$2,664 तक का उल्लंघन नोटिस दिया जा सकता है। आपका वीज़ा भी रद्द किया जा सकता है और यदि ऐसा हुआ, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने से मना किया जा सकता है और जब तक आपको ऑस्ट्रेलिया से निकाल नहीं दिया जाता तब तक आपको अप्रवासन हिरासत में रखा जा सकता है। यदि आप किसी वस्तु के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो उसे घोषित करें, या उसे अपने साथ बिल्कुल भी न लाएं।

यदि आप अपने साथ भोजन, पौधों की सामग्री या पशु उत्पाद नहीं लाते/लाती हैं, तो एयरपोर्ट क्लीयरेंस जल्दी हो जाता है। अधिकांश आइटम ऑस्ट्रेलिया में आसानी से खरीदे जा सकते हैं।

विदेश से आने वाले आपके परिवार और दोस्तों को यह बताना महत्वपूर्ण है कि वे ऑस्ट्रेलिया में भोजन, पौधों की सामग्री या पशु उत्पादों को साथ न लाएं। हालांकि, अगर वे इन सामानों को अपने साथ लाने का फैसला करते हैं, तो उन्हें उनकी घोषणा करनी होगी।

अनुमत उत्पाद

खाद्य पदार्थ

निम्नलिखित व्यावसायिक रूप से तैयार और पैकेज्ड उत्पादों की अनुमति है:

- ✔ नाश्ते के अनाज
- ✔ चॉकलेट
- ✔ कॉफी - इंस्टेंट, ग्राउंड या रोस्टेड (कोपी लुवाक को छोड़कर)
- ✔ कन्फेक्शनरी (भारतीय डेयरी मिठाई और मांस आधारित मिठाई को छोड़कर)
- ✔ इंस्टेंट नूडल्स
- ✔ म्यूसली बार
- ✔ सादी रोटी, रोल या बन (बिना फिलिंग या टॉपिंग के)
- ✔ चाय (केवल ब्लैक और ग्रीन चाय)।

घरेलू सामान और कपड़े

ऑस्ट्रेलिया में आगमन से पहले इन वस्तुओं को साफ होना चाहिए और बीज, मिट्टी, छाल, कीड़ों, खाद्य अवशेषों, जानवरों के ऊतकों और पौधों के मलबे और अन्य जैव सुरक्षा जोखिम सामग्री से मुक्त होना चाहिए:

- बाँस की वस्तुएँ (सूखे बाँस से बनी होनी चाहिए, न कि ताज़े या हरे बाँस से)
- बिस्तर
- वस्त्र
- व्यावसायिक रूप से तैयार और पैक किए गए सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद
- डाउन फाइबर और पंख से भरी वस्तुएं (जैकेट, स्लीपिंग बैग, रजाई और तकिए सहित)
- रसोई के उपकरण (पैन, ब्लेंडर और राइस कुकर सहित)
- संगीत वाद्ययंत्र
- जूते
- लकड़ी के सामान।

ध्यान रखें कि कुछ खिलौनों, गर्म तकिए, बर्फ के गुंबद और स्मृति चिन्ह में ऐसी सामग्री हो सकती है जो आयात की शर्तों के अधीन हो, जैसे कि बेकार कपास, गेहूं के दाने, बीज, बीन्स, मिट्टी, पुआल या पानी।

अन्य सामान

निम्नलिखित सामान जैव सुरक्षा जोखिम वाले सामान नहीं हैं और इन्हें ऑस्ट्रेलिया में लाने की अनुमति है:

- अल्कोहलयुक्त पेय, सिगरेट और अन्य प्रोसेस किए गए तंबाकू उत्पाद
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (लैपटॉप, टैबलेट, फोन और कैमरे सहित)
- मूल्यवान वस्तुएँ (आभूषण, घड़ियाँ और मुद्रा सहित)।

इन आयातों को घरेलू मामले विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो इन सामानों को रिलीज़ करने से पहले उनका निरीक्षण और उन्हें क्लीयर कर सकते हैं। बॉर्डर से माल की निकासी और आयात शुल्क और करों के बारे में अधिक जानकारी के लिए **homeaffairs.gov.au** देखें।

ओवर-द-काउंटर दवाओं, विटामिन पूरक और अन्य चिकित्सीय सामानों के लिए, कृपया **tga.gov.au** पर चिकित्सीय सामान प्रबंधन से संपर्क करें।

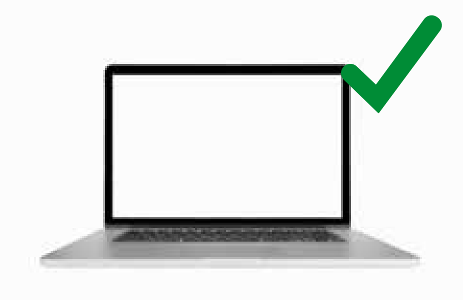

निम्नलिखित सामान न लाएं

- ✖ डेयरी उत्पाद (दूध, पनीर, दही और मक्खन सहित)
- ✖ सूखी मिर्च/शिमला मिर्च (जब तक कि व्यावसायिक रूप से ग्राउंडिड या पिसी हुई न हो)
- ✖ अंडे और अंडा उत्पाद (पूरे, सूखे और पाउडर अंडे, सेन्चुरी अंडे, अंडा नूडल्स और अंडा आधारित मेयोनेज़, सॉस या कस्टर्ड सहित)
- ✖ फूल (ताजे कटे और सूखे सहित)
- ✖ जानवरों के लिए अभिप्रेत भोजन या दवाएं (कृमिनाशक गोलियां, एंटीबायोटिक्स, डिब्बाबंद या सूखे पालतू पशु भोजन सहित)
- ✖ फल और सब्जियां (खजूर, सेब, केला और खट्टे (साइट्रस) फल सहित)
- ✖ घर का बना खाना (कोई भी ऐसा भोजन जो व्यावसायिक रूप से तैयार और पैक नहीं किया गया हो)
- ✖ जीवित जानवर (स्तनधारियों, पक्षियों के अंडे, कीड़े, उभयचर, सरीसृप, मछली और रेशम के कीड़ों सहित)
- ✖ आपकी उड़ान में प्राप्त भोजन या नाश्ता (फल, दही, दूध पेय और सैंडविच सहित)
- ✖ मांस (सलामी, सॉसेज और हैम सहित)
- ✖ पौधे (पॉटेड पौधे और कटिंग सहित)
- ✖ दालें (बीन्स, दाल, मटर और छोले सहित)
- ✖ चावल
- ✖ बीज (मसालों सहित) और मेवे (nuts)
- ✖ रोपण के लिए बीज या बल्ब
- ✖ मिट्टी (नमूने, उपकरण या जूते पर गंदगी सहित)
- ✖ खेल/कैम्पिंग उपकरण जो गंदे या गीले हों
- ✖ पारंपरिक उपचार और दवाएं जिनमें जड़ी-बूटियां, पशु उत्पाद या सूखे औषधीय मशरूम डाले हुए होते हैं (आयात की सख्त शर्तें लागू)
- ✖ गेहूं (जब तक कि व्यावसायिक रूप से दले या पिसे हुए न हो)।

नवीनतम आयात शर्तों के लिए **awe.gov.au/bicon** पर ऑस्ट्रेलिया की जैव सुरक्षा आयात शर्तें प्रणाली (BICON) देखें।

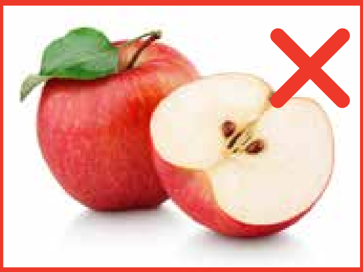

पैकिंग करते समय

आपको अपना बैग खुद पैक करना चाहिए और उसमें मौजूद सभी सामग्री के बारे में पता होना चाहिए। आपके बैग में रखी सभी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी हैं। जिन वस्तुओं को आगमन पर घोषित करने की आवश्यकता होती है उन्हें अलग से या अपने सामान में सबसे ऊपर पैक किया जाना चाहिए।

आगमन पर

अपनी इनकमिंग यात्री घोषणा को पूरा करें। यदि आप खाद्य पदार्थ, पौधों की सामग्री या पशु उत्पाद ला रहे हैं, तो आपको उन्हें घोषित करना होगा। यदि आप घोषणा नहीं करते/करती हैं, या झूठी घोषणा करते/करती हैं, तो आपको दंडित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आपको A$2,664 तक का उल्लंघन नोटिस दिया जा सकता है। आपका वीज़ा भी रद्द किया जा सकता है और यदि ऐसा है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने से मना किया जा सकता है और ऑस्ट्रेलिया से निकाले जाने तक अप्रवासन हिरासत में रखा जा सकता है।

यदि आप सभी सामानों की घोषणा करते हैं और उन्हें पेश करते हैं, तो भले ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया में लाने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो भी आपको *जैवसुरक्षा अधिनियम 2015* के तहत दंडित नहीं किया जाएगा।

आपके पास हवाई अड्डे पर स्थित कूडे के डिब्बे में स्वेच्छा से भोजन, पौधों की सामग्री और पशु उत्पादों का निपटान करने का अवसर होगा। एयरलाइन से उड़ान के दौरान प्राप्त किसी भी भोजन का तुरंत निपटान करना याद रखें।

जैव सुरक्षा जोखिम वाली वस्तुओं की पहचान करने के लिए आपके सामान को जाँचा जा सकता है। इसमें जैव सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पूछताछ या एक्स-रे, डिटेक्टर कुत्तों और/या भौतिक निरीक्षण का उपयोग करके स्क्रीनिंग शामिल हो सकती है।

यदि आपके आइटम ऑस्ट्रेलिया की आयात आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें आपके खर्च पर ट्रीटमेंट, निर्यात या निपटान के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

जिन सामानों से जैव सुरक्षा जोखिम नहीं होता है, उन्हें निरीक्षण के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा।

घर से पार्सल

ऑस्ट्रेलिया में डाक द्वारा भेजी जाने वाली वस्तुओं पर समान आयात शर्तें लागू होती हैं। विदेशों में रहने वाले अपने परिवार और दोस्तों को ऑस्ट्रेलिया के जैव सुरक्षा कानूनों के बारे में बताना और उन्हें भोजन, पौधों की सामग्री या पशु उत्पादों को न भेजने के लिए कहना महत्वपूर्ण है।

और जानकारी

ऑस्ट्रेलिया में सामान लाने या भेजने के बारे में जानकारी के लिए **awe.gov.au/travelling** पर जाएं या **imports@awe.gov.au** पर ईमेल करें।

विस्तृत आयात शर्तों को जानने के लिए **awe.gov.au/bicon** पर जाएं।

फोन: 1800 900 090 या
+61 3 8318 6700 (ऑस्ट्रेलिया के बाहर से)

awe.gov.au/studying

Facebook: Australian Biosecurity
Twitter: @DeptAgNews

ABIO201.0721